01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018 117

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -19.8.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2025-26 में दिव्यांगजनों के सहायतार्थ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा राज्य के 15 बस स्टैंडों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाये जाने हेतु व्यय की गयी अतिरिक्त राशि रू० 26.52 लाख (छब्बीस लाख बावन हजार) मात्र के भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5722 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना क्रियान्वित किया गया है। विदित है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-08 दिनांक-25.02.2019 के द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 17 बस स्टैंडों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाये जाने हेतु रू० 1.70 करोड (एक करोड सत्तर लाख) का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. इस क्रम में प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन भवन, फुलवारी शरीफ, पटना के पत्रांक-2716 दिनांक- 25.06.2025 के द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि0 के बस स्टैडों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाये जाने हेतु पूर्व में दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति से 20 प्रतिशत अनुज्ञेय सीमा में व्यय की गयी अतिरिक्त कुल राशि रू० 26.52 लाख (छब्बीस लाख बावन हजार) मात्र की मॉग की गयी है।

3. सम्यक विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस पडावों को Disable Friendly बनाये जाने हेतु 20 प्रतिशत की अनुज्ञय सीमा में व्यय की गयी अतिरिक्त राशि **रू० 26.52 लाख (छब्बीस लाख बावन हजार) की भुगतान की** स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिव्यांग व्यक्तियों के स्कीम सिपडा विपत्र कोड सं0- 51-2235021010323 के विषय शीर्ष 2701-लघु कार्य से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय राशि की निकासी कर प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को उपलब्ध करायेंगे तथा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसका सामंजन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक -12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-**01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018** के टिप्पणी पृष्ट संख्या-46/टि0 पर दिनांक 06.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-48/टि0 पर दिनांक- 14.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

19/8/25

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- **01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018** 117 /.. ..../दिनांक- 19.8.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, परिवहन विभाग/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/ प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम /विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- **01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018** 117 /...................../दिनांक- 19.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- **01/दि०स०नि०(बजट)-15/2018** 117 /...................../दिनांक- 19.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/8/25

संयुक्त सचिव।